

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : /2017

बमुक० महेन्द्र बनाम बत्री बगौरा

दावा स्वत्व घौषणा व
दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

09.06.2017 दावा बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी को सुना । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 06.07.2017 को पेश हो ।



6/7/17 पत्रावली पेश हुई। पोस्टाबल राजस्व लोक अदालत के माध्यम से महेन्द्र बत्री को पेशा है। पत्रावली गतारेंडा मुद्रा दिनांक 10/8/17 को पेश हो।

10-8-17 पत्रावली पेश हुई प्रकरण में कोई नार आता है लोगवई नहीं। नानजूद आवजों के वादी अथवा उनके अभिभाषक में से कोई उपस्थित नहीं। अतः दावा वादी अदम्य हाजिरी व अदम्य पेशी में रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर कार्रवाई होकर है।

